


आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर घोषणा आशय की जाती है कि राजस्व मटाणा पटवार हल्का केहरपुरा कलां में स्थित खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 1.50 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.50 हैक्टर तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं (राज०) में मुकेश पुत्र गोरू के स्थान पर मुकेश पुत्र गोरूराम, नरेन्द्र पुत्र गोरू के स्थान पर नरेन्द्र पुत्र गोरूराम, बसेसर पुत्र गोरू के स्थान पर विश्वेश्वर दयाल पुत्र गोरूराम व सुरजी देवी पत्नी गोरू के स्थान पर सुरजी देवी गोरूराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार चिड़ावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैंशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ० नरेश शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा